राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 2546 / 2003 / टोंक

1. भैरू पुत्र लादू
2. उददा पुत्र लादू
3. रामचन्द्रा पुत्र लादू
4. श्योजी पुत्र लादू
5. मु0 जेतू पुत्री लादू

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।

....**अपीलांट्स**

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अभयकुमार जाति महाजन निवासी टोडारायसिंह जिला टोंक।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टोंक।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः—
श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री ओ. एल. दवे, अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्टस संख्या 1

निर्णय **दिनांक : 20—8—2019**

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 49 / 1999 में दिनांक 08.04.2003 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार ने न्यायालय सहायक कलक्टर,

टोडारायसिंह को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत दुरूस्ती इन्द्राज रिकार्ड जमाबन्दी, दावा इस्तकरार हक अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत किया जिसे विद्वान सहायक कलक्टर, टोडारायसिंह ने अपने निर्णय दिनांक 9.8.1999 के द्वारा स्वीकार कर डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक में प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8.4.2003 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि सैटलमेन्ट के रिकार्ड एवं जमाबन्दी में जब अपीलान्ट का नाम बतौर खातेदार दर्ज था और सैटलमेन्ट की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी थी ऐसी स्थिति में उक्त इन्द्राज को अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत सरसरी तौर पर कार्यवाही करके बदला नहीं जा सकता था बल्कि भू–प्रबंध की उक्त कार्यवाही के पश्चात सक्षम न्यायालय में इस्तकरार हक के दावे में ही कार्यवाही की जा सकती है। ऐसा ही एक वाद रेस्पो0 संख्या 1 व उसके भाई ओमप्रकाश द्वारा इन विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अन्य आराजीयात के साथ साथ अन्य पक्षकारान के साथ साथ अपीलान्ट के मृतक पिता लादू जो उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 14 थे के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, टोडारायसिंह के यहां दिनांक 26.6.1997 को ही पेश कर दिया गया था जो अभी अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है और उक्त वाद में अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत पेश किया जा चुका है। राजस्व रिकार्ड में जब अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार दर्ज हैं और उक्त निर्णय से उनके खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित करना न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत है तथा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत प्रकरण केवत प्रार्थना पत्र होता है जिसमें डिक्री बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। डिक्री केवल दावे के निर्णय के आधार पर ही बनायी जा सकती है। इस कानूनी बिन्दू की अनदेखी करके प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय के 14 दिन बाद डिक्री बनाकर

प्रोसीजर व नियमों का सरासर उल्लंघन किया है। वादी ने तथ्यों को छुपाकर खातेदार को दावे में पक्षकार नहीं बनाकर धोखा देने की गरज से वाद प्रस्तुत किया था जो कि विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिया गया था। उक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों ने नियमो से परे जाकर निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अभिकथन किया कि अपीलान्ट विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं था, उन्हें अपील करने से पूर्व पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र धारा 96 (2) सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत कर न्यायालय से अनुमति लेनी चाहिए। अपीलान्ट द्वारा अनुमति नहीं ली गई। आगे कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णीत किए गए प्रकरणों की अपील निदेशक, लेण्ड रिकार्ड के यहां प्रस्तुत की जानी चाहिए जो नहीं की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया।

7— पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार ने एक वाद संख्या 91/99 तहसीलदार टोडारायसिंह के विरूद्ध इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज रिकार्ड जमाबन्दी बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर, टोडारायसिंह, टोंक में दिनांक 19.7.1999 को प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार ने दिनांक 31.7.1999 को जवाब दावा प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में वादी की साक्ष्य लिये बिना, दस्तावेजों को प्रदर्श किये बिना दिनांक 9.8.1999 को दावा डिक्री कर दिया।

8— उक्त प्रकरण की प्रथम अपील भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक में की गई जिसमें कथन किया गया कि एक अन्य वाद ओमप्रकाश, सुरेन्द्र कुमार पुत्र अभय कुमार ने राजस्थान सरकार व 14 अन्य प्रतिवादियों जिनमें क्र.सं. 14 पर लादू वल्द ओंकार भी बतौर प्रतिवादी पक्षकार है, सहायक कलक्टर, टोडारायसिंह, जिला टोंक के न्यायालय में जिसमें वाद संख्या 91/94 में वर्णित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियों के संबंध में इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती व अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त दावा अभी तक निस्तारित नहीं हुआ है और अभी विचाराधीन है। वादी ने तथ्यों को छुपाकर खातेदार को दावे में पक्षकार नहीं बनाकर धोखा देने की गरज से वाद प्रस्तुत किया था जो कि विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिया गया था। ऐसा निर्णय व डिक्री न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः यह खारिज योग्य है। भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 08.04.2003 द्वारा अपील खारिज कर दी व विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत रखा। द्वितीय अपील में लगभग वही बिन्दु उठाये गये हैं जो कि प्रथम अपील में उठाये गये थे। प्रकरण को देखने से प्रथम दृष्ट्या निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैः—

1). न्यायालय सहायक कलक्टर में प्रकरण संख्या 91/99 में रिकार्डेड खातेदार लादू पुत्र ओंकार को पक्षकार नहीं बनाया गया था जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था। माननीय राजस्व मण्डल के अनेक निर्णयों में यह अभिमत प्रकट किया जा चुका है कि रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार न बनाकर प्रकरण में आनन फानन में डिक्री जारी कर दी गई जो कि न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है।

2). वादी/प्रार्थी ने अपने वाद में अंकित किया है ''दावा इस्तकरार हक व इंद्राज दुरूस्ती'' इसलिये इसे दावा माना जायेगा और सीपीसी की प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। विचारण न्यायालय को तनकी बनाकर साक्ष्य ली जाकर दावे का निर्णय करना था किन्तु न तो तनकियाँ कायम की गई और न ही कोई भी साक्ष्य हुई। जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे उनको प्रदर्श (Exhibit) भी नहीं किया गया। बिना प्रदर्श किये कोई भी दस्तावेज पठन योग्य नहीं है। अतः विचारण न्यायालय ने सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करने में समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

3). अपील में वर्णित एक अन्य वाद सहायक कलक्टर टोडारायसिंह के न्यायालय में दिनांक 26.6.1997 को प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण संख्या 91/99 के पेश करने से पूर्व उक्त प्रकरण विचारधीन था जिसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। अतः एक वाद के विचाराधीन रहते उक्त वाद का इस प्रकरण पर क्या असर है ? इसके संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। वर्तमान में वह प्रकरण अभी विचाराध्याीन है अथवा निर्णीत हो गया है? यदि विचाराधीन है तो क्या दोनों को एक साथ निर्णीत किया जा सकता है? यदि वाद का निर्णय हो गया है तो उसका इस प्रकरण में क्या असर होगा?

9— उक्त तथ्यों पर विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने कोई निष्कर्ष प्रदान नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को विधिसम्मत निर्णय नहीं कहा जा सकता है। अतः हम उचित समझते हैं कि उक्त तथ्यों पर विधि के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार निष्कर्ष पर पहुँचते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाए। फलस्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर, टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 09.8.1999 एवं भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक का निर्णय दिनांक 08.4.2003 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उभयपक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य